



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256190
CG-DL-E-08082024-256190

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3046]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946

No. 3046]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का.आ. 3195(अ).—जबकि मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय शक्ति सदन कॉरपोरेट मुख्यालय, शनान शिमला-171006 हिमाचल प्रदेश, भारत में स्थित है, ने “एसजेवीएन लिमिटेड की 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली। “ के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I दिनांकित 19.01.2022 के द्वारा “एसजेवीएन लिमिटेड की 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली। “के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 10.06.2023, हिमाचल दस्तक (हिंदी में) दिनांक 10.06.2023 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 13.01.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड ने 21.03.2024

दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "एसजेवीएन लिमिटेड की 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली।" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. धौलासिद्ध एचईपी - सुजानपुर (एचपीपीटीसीएल) 220 केवी डी/सी लाइन।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र.	गाँव के नाम	तहसील	जिला
1	सलासी, सनोटू, डी.पी.एफ. जीहण	नादौन	हमीरपुर
2	भोग, करोट, लौंगणी, गाहलियाँ, मियाणा, भलेठ, रोपा, गरौडू, दाडला, टिक्कर, जोल कलां, डोली, टीहरा- सुजानपुर, काछ, जोल, बाहडू, पोई, बैरी	टीहरा-सुजानपुर	हमीरपुर
3	बलडी, बरवाला, भरेड, चौंकी, चौंकी-ढोरियां, छरड, डडल, ढखर, डुहक, जरुंडी, ज्योड, कासड, कोटू- ढोरियां, मनेरा, मननू, कुरी, मरहाना, मैहसी, बलडा, भटावां, बुल्ली, दबकेड, धतेड, डिव, जजर, क्योड, मझीण, परोंठा, सौली, सर्ब नाटी, सरोही, सियालकड, तरयामलू, टिहरी, टिपरी	मझीण	कांगड़ा
4	मकड, नलोटी, रच्छाहण, सुराणी	खुडियाँ	कांगड़ा
5	कुहन खास, डली, भलुंदर, डाडू, भेडी निचली, भेडी उपरली, पपरोला, बीड, जांगल, मलोदन, धार ब्रहमपुरी, मसहवार, रडाम कलां, गढ, जमूला	आलमपुर	कांगड़ा
6	वेरघटा, चूला, धनियारा, डुहक कलां, लाहड, डुहक, लाहडू, उमरी	थुरल	कांगड़ा

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- vi. मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/31/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

**MINISTRY OF POWER
ORDER**

New Delhi, the 6th August, 2024

S.O. 3195(E).—Whereas M/s SJVN Limited having its registered address at Shakti Sadan, Corporate Head Quarter, Shanan, Shimla -171006, Himachal Pradesh, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under “Transmission System for evacuation of Power from 66 MW Dhaulasidh Hydro Electric Project of SJVN Limited”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. I/19915 /2022 dated 19.01.2022 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under “Transmission System for evacuation of Power from 66 MW Dhaulasidh Hydro Electric Project of SJVN Limited”.

M/s SJVN Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of India (in English) dated 10.06.2023, Himachal Dastak (in Hindi) dated 10.06.2023 and in Weekly Gazette of India dated 13.01.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s SJVN Limited has submitted an affidavit dated 21.03.2024 declaring that no observation/representation was received within 2 months from the date of Publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under “Transmission System for evacuation of Power from 66 MW Dhaulasidh Hydro Electric Project of SJVN Limited”. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. Dhaulasidh HEP - Sujampur (HPPTCL) 220 kV D/C line.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Himachal Pradesh:

Sr. No.	Name of Villages/Towns/Cities	Tehsil	District
1.	Salasi, Sanotu, DPF Jeehan	Nadaun	Hamirpur
2.	Bhog, Karot, Laungni, Gahlian, Mayana, Bhalet, Ropa, Groru, Darla, Tikkar, Jol-Kalan, Doli, Tihra-Sujanpur, Kachh, Bahru, Poi, Bairi.	Tihra-Sujanpur	Hamirpur
3.	Balhri, Barwala, Bharer, Chaunki, Chaunki-Dhorian, Chharar, Daddal, Dhakhar, Duhk, Jarundi, Jiod, Kasar, Kotu, Dhorian, Manera, Mannu, Kuri, Marhana, Mahesi, Balra, Bhatawan, Buli, Dabkehri, Dhatehr, Dib, Jajjar, Kior, Majhin, Parauntha, Saoli, Sarab-Nati, Sarohi, Sialkar, Taryambu, Tihri, Tipri	Majheen	Kangra
4.	Makar, Naloti, Rachhan, Surani	Khundian	Kangra

5.	Kuhn Khas, Dali, Bhalundar, Dadu, Bheri Nichli, Bheri Uparli, Paprola, Bir, Jangal, Malodhan, Dhar-Brahmpuri, Mashwar, Bardamkalan, Garh, Jamula	Alampur	Kangra
6.	Bairghat, Chuhla, Dhaniara, Duhk Kalan, Lahar, Duhk, Lahru, Umri	Thural	Kangra

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s SJVN Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s SJVN Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) zone, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/31/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)